रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 1975/आषाढ़ 2, 1897
No. 116] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 1975/ASADHA 2, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd June 1975

SUBJECT.—*Export from India to Poland under the Trade and Payments Agreement.*

No. 51-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the Ministry of Commerce, Public Notice No. 14-ITC(PN)/75, dated the 20th February, 1975 regarding imports from Poland under the Trade and Payments Agreement.

2. It has been decided that all contracts and the commercial and financial documents relating to export of goods and services from India to Poland may be expressed either in U.S. Dollars or in Indian Rupees as decided by the concerned exporters. The payments in either case will, however, be effected in non-convertible Indian rupees. In cases, where the prices are expressed in US Dollars, the US Dollars will be converted into Indian rupees at the dollar/rupee rate prevailing on the date(s) of making payment obtained on the basis of :—

(a) The previous working day's closing middle rate for the dollar in terms of pound sterling in the London Market; and

(b) The middle rate of the Indian commercial bank maintaining the account of Bank Handlowy Warszawie SA for buying and selling Pound Sterling in terms of Indian rupees.

3. It may be clarified that for the purpose of obtaining REP benefits, the Indian exporters will be, as at present, required to produce bank certificate in the prescribed form as provided in Annexure VI at page 241 of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. II) for the period April 1975—March 1976 as may be amended from time to time.

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 जून, 1975

विषय:—व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत भारत से पोलैंड को निर्यात ।

संख्या 51-आई०टी०सी० (पी०एन०)/75.—व्यापार तथा भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत पोलैंड से आयात से संबंधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 14-आई० टी० सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 20 फरवरी, 1975 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. यह निश्चय किया गया है कि भारत से पोलैंड को माल तथा सेवाओं के निर्यात से संबंधित सभी संविदाएं तथा वाणिज्यिक एवं वित्तीय प्रलेख संबद्ध निर्यातकों द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार या तो यू० एस० डालर में या भारतीय रुपये में व्यक्त किये जाएं । लेकिन, दोनों मामलों में भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में ही होंगे । जिस किसी मामले में यू० एस० डालर में कीमतें अभिव्यक्त की जाती है । तो यू० एस० डालर को निम्नलिखित आधार पर प्राप्त की गई भुगतान की तारीख (खों) को लागू डालर/रुपये की दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाएगा:—

(क) लन्दन के बाजार में पोंड स्टर्लिंग की शर्तों के अनुसार डालर के लिये अन्तिम मध्य दर से पूर्व का कार्य दिवस; और

(ख) भारतीय रुपयों की शर्तों के अनुसार पोंड स्टर्लिंग की खरीद एवं बिक्री के लिये बैंक हैंडलोवी वार्सजावी एस० ए० के लेखे का अनुपालन करने वाले भारतीय वाणिज्यिक बैंक की मध्य दर ।

3. यह स्पष्ट कर लिया जाय कि आर०ई०पी० लाभों को प्राप्त करने के विचार से समय-समय पर यथा संशोधित अप्रैल 1975—मार्च 1976 अवधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक वा० 2) के अनुबंध 6 में पृष्ठ संख्या 241 पर यथा प्रदान निर्धारित प्रपत्र में जैसा कि अभी भी लागू है, भारतीय निर्यातकों को बैंक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975